



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रकरण संख्या :-165/2022

जी.सी.एम.एस. नं. 2022/532

1. रामकिशन पुत्र धन्ना लाल आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. अशोक कुमार पुत्र धन्ना लाल आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. कुन्दन सिंह पुत्र धन्ना लाल आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

:-वादीगण:-

1. कमला देवी पत्नी सूरजमल आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. नानगी देवी पत्नी लादूराम आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. बुद्धीप्रकाश पुत्र लादूराम (मृतक दौराने दावा)  
3/1 हीरा देवी पत्नी बुद्धीप्रकाश  
3/2 सूर्यप्रकाश उर्फ सावन उर्फ श्रवण पुत्र बुद्धीप्रकाश  
3/3 शीतल मीना पुत्री बुद्धीप्रकाश  
3/4 कोमल मीना पुत्री बुद्धीप्रकाश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता हीरा देवी पत्नी बुद्धीप्रकाश समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. भंवरलाल पुत्र लादूराम आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. रामसहाय पुत्र छीतर आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. लल्लूराम पुत्र गणेश आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम गुडा चक बस्सी चालीसा की ढाणी आगरा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक बस्सी कार्यालय कस्बा बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
9. उपपंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

:-प्रतिवादीगण:-

### दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एड0 वादीगण।  
श्री सनातन पारीक, एड0 प्रतिवादी संख्या 5  
श्री राजेश शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1

पर्चा डिक्री

दिनांक: 24/04/2025

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 5 का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर आराजी वाके ग्राम बस्सी खसरा नम्बर 143 रकबा 1.75 है0 के सम्बन्ध में वादीगण का वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 24/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी  
जिला जयपुर